

सौरव कुमार

उप मुख्य अभियंता (निर्माण)

Saurav Kumar

Deputy Chief Engineer (C)

Mobile No. 9752415229



West Central Railway

कार्यालय उप मुख्य अभियंता

(निर्माण) रीवा

Deputy Chief Engineer's Office

Construction Department, Rewa

Email Id.: dycecljbp@gmail.com

क्र./उप मुख्य अभि. नि/रीवा-सीधी-सिंगरौली/

रीवा, दिनांक:- 28.10.2022

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,

वन मण्डल अधिकारी जिला सिंगरौली (म. प्र.)

विषय:- रीवा-सीधी-सिंगरौली नयी बड़ी रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक /मा.चि/3344 दिनांक 05.09.2022.

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में उल्लेखित है कि, पूर्व में उप मुख्य अभियंता निर्माण प. म. रे जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक/निल/दिनांक 07.05.2018 में सिंगरौली जिले की वन प्रभावित क्षेत्र जिनका रकबा 141.92 हेक्टेयर का भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया था। आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक मा.चि/3343 सिंगरौली दिनांक 05.09.2022 में भी कुल रकबा 141.92 हेक्टेयर ही प्रभावित हो रही है, जिसमें रकबा का योग गलती से 140.43 हेक्टेयर लिखा गया है। ऑनलाइन प्रस्ताव में भाग 1 में भी सिंगरौली वन मंडल में 141.92 हेक्टेयर रकबे का प्रस्ताव दिया गया है चूंकि प्रस्ताव में कोई भी भिन्नता नहीं है, अतः प्रस्ताव में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे रीवा

संलग्नक:-

1. पूर्व प्रस्ताव की प्रति।
2. ऑनलाइन भाग सूची की प्रति।
3. पत्र क्रमांक /मा.चि/3344 दिनांक 05.09.2022 की प्रति।

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरीली (म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल: dfo@sgl@mp.gov.in फोन-07805-233336 फैक्स-233335

क्र0/मा0फि0/ 3343
प्रति,

सिंगरीली, दिनांक 05-09-2022

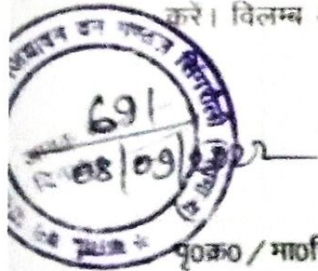
1. समस्त उप वन मण्डल अधिकारी
2. समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी

विषय- शीवा-सीधी-सिंगरीली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव के संबंध में।
संदर्भ- सहायक अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर का पत्र क्रमांक/डिप्टी/डीओ/327/612/VI दिनांक 28.12.2018।

-000-

विषयांकित संदर्भित ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक से प्राप्त प्रस्ताव का भाग-1 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है जिसके संबंध में लेख है कि रेलवे विभाग द्वारा शीवा-सीधी-सिंगरीली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्तावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र जियावन अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी.एफ. 847 रकवा 6.31 हे0, आर.एफ. 848 रकवा 6.67 हे0, पी.एफ. 845 रकवा 8.92 हे0, पी.एफ. 774 रकवा 8.92 हे0, आर.एफ. 773 रकवा 8.32 हे0, पी.एफ. 776 रकवा 15.87 हे0 एवं वन परिक्षेत्र बरगवा अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी.एफ. 782 रकवा 8.56 हे0, पी.एफ. 781 रकवा 15.68 हे0, पी.एफ. 202 रकवा 11.26 हे0, पी.एफ. 201 रकवा 25.84 हे0, पी.एफ. 200 रकवा 14.29 हे0, पी.एफ. 197 रकवा 11.28 हे0 कुल रकवा 140.43 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

उपरोक्त वन भूमि का स्थल निरीक्षण कर वृक्षों की गणना सहित प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप-1 एवं 2 एवं वन भूमि रकवा 140.43 हे0 के बदले 350 हे0 का वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना निर्धारित नये निर्देशानुसार तैयार कर 05 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। विलम्ब अवाञ्छनीय है।



(Handwritten signature)

(मन्वु खी राज)

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरीली

सिंगरीली दिनांक 05-09-2022

क्र0/मा0फि0/ 3344

प्रतिलिपि-

कार्यकारी अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पणित। कृपया संबंधित उप वन मण्डल अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सहयोग प्रदान करें एवं आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित रकवा एवं ऑनलाइन भाग-1 में उल्लेखित रकवा में भिन्नता है। अतः रकवे में सुधार करें एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन इस कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8.56

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरीली

631
6.62
12.98

15-82
832
24-19

o/c Sidh:



पश्चिम मध्य रेलवे

कार्यालय,

उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण-1

जबलपुर

क्र०.

प्रति,

दिनांक 07/05/18

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय समिति जिला सिंगरौली (म०प्र०)

विषय:-

रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अधिनियम 2008 के नियम- 2008 के तहत जिला स्तरीय समिति से सहमति प्रमाण पत्र प्रदान करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि रीवा-सीधी-सिंगरौली योजना के अन्तर्गत सीधी-सिंगरौली बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें सिंगरौली जिले के कुछ भाग पर वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम- 1980 के अन्तर्गत किया जाना है। वन भूमि निम्नानुसार है:-

जिला	वनमण्डल	परिक्षेत्र	ग्राम पंचायत	कक्षा क्र.	प्रभावित रकबा (हे.मै.)	प्रभावित कुल रकबा (हे.मै.)
सिंगरौली	सिंगरौली	जियावन		PF 847	6.31	141.92
				RF 848	6.67	
				PF 845	8.92	
				PF 774	8.92	
				RF 773	8.32	
				PF 776	15.87	
		वरगवां		PF 782	8.56	
				PF 781	15.68	
				PF 202	11.26	
				PF 201	25.84	
				PF 200	14.29	
				PF 197	11.28	

अतः निवेदन है कि उक्त वन भूमि में विस्थापित होने वाली आदिम जाति जनजाति के संबंध में वन अधिकार अधिनियम- 2008 में तहत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। ताकि विषयांकित परियोजना हेतु वांछित वन भूमि की व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए परियोजना कार्य को अविलंब पूर्ण किया जा सके।

संलग्न:- ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

दिनांक.....

पृ.क्र०.

प्रतिलिपि:-

- वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
- आयुक्त महोदय, आदिवासी विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर को सादर सूचनार्थ।

25.5.18
जिला-सिंगरौली नि.प्र.मं.

25.5.18
जिला-सिंगरौली नि.प्र.मं.

25.5.18
जिला-सिंगरौली नि.प्र.मं.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9752415217

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: **B. Details of land required for the Project**

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Sidhi West(T)	26.5	0
2.	Singrauli	141.92	0
Total		168.42	0

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Sidhi	26.5	0
1.	Singrouli	141.92	0
Total		168.42	0

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Gajaraha	2.72	0
2	Chandwahi	16.3	0
3	Bahari	7.48	0
4	Zhoko	6.31	0
5	Rehi	15.61	0

O/C. SIDHI.

Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below, along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Madhya Pradesh on 26/05/2018.

1. Proposal No. : FP/MP/RAIL/33238/2018

2. Proposal Name : Sidhi-Singrauli New Rail Line Project a Part of Lalitpur - Singrauli Rail line project

3. Category of the Proposal : Railway

4. Date of Submission : 26/05/2018

5. Name of the User Agency with Contact Details

Name : Prabal

Mobile No. : 9752415217

State : Madhya Pradesh

District : Jabalpur

Pincode : 482001

6. Area Applied (ha.) : 168.42



15 नग
7/9/18

11/9/18

अधिकार्या

कलेक्ट्रेट जिला-सिंगरौली